अंतिम–डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:–1 / 293 / 2023 दायर दिनांक:– 02 / 11 / 2023

जीसीएमएस नं0:–2023 / 536 निर्णय दिनांक:– 08 / 07 / 2025

वउनवान

1. घौड्याराम पुत्र चिरंजीलाल जाति मीना निवासी अगराया तहसील कठूमर जिला अलवर।

------ वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र बिरजीराम जाति मीना निवासी अगराया तहसील कठूमर
2. करणसिंह पुत्र बिरजीराम जाति मीना निवासी अगराया तहसील कठूमर
3. प्रभाती पुत्र चिरंजीलाल जाति मीना निवासी अगराया तहसील कठूमर
4. शिवचरण पुत्र बिरजीराम जाति मीना निवासी अगराय तहसील कठूमर
5. डप पंजीयक महोदय भनोखर तहसील कठूमर।
6. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

---- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति:–1.श्री रामजीलाल शर्मा–अधिवक्ता वादीगण
2.श्री सुभाष शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–4
3. श्री लतेश शर्मा–अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या–3

–:निर्णय:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 0.86 हैक्ट0 ग्राम वाके अगराया तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1 / 4 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादीगण के 1/4 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6 वाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने हाजिर अदालत होकर इकबाल जबाव पेश किया गया। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 वाके ग्राम अगराया सत्यप्रतिलिपी पेश की है, जो शामिल पत्रावली है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के द्वारा हाजिर अदालत होकर दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमती आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर लिखवाई गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 के अधिवक्ताओं के सहमती के आधार पर दावा वादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। जिसके आधार पर दावा दिनांक 11.03.2025 को प्रारम्भिक रूपे डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वाबत कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 17.06.2025 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076–79 वाके ग्राम अगराया की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम अगराया में से अमरचन्द पुत्र बिरजीराम मीना, करणसिंह पुत्र विरजीराम मीणा, शिवचरण पुत्र विरजीराम मीना को 763/3 रकबा 0.43 हैक्ट एवं प्रभाती पुत्र चिरंजीलाल मीणा को 763/1 रकबा 0.2150 हैक्ट, धौड्या पुत्र चिरंजीलाल मीणा को 763/2 रकबा 0.2150 हिस्सा तकसीम में दिया है। जिस विभाजन प्रस्ताव पर वादी एंव प्रतिवादीगण के सहमति के हस्ताक्षर है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वो आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 0.86 हैक्ट0 वाके ग्राम अगराया में से अमरचन्द पुत्र बिरजीराम मीना, करणसिंह पुत्र विरजीराम मीणा, शिवचरण पुत्र विरजीराम मीना को 763/3 रकबा 0.43 हैक्ट एवं प्रभाती पुत्र चिरंजीलाल मीणा को 763/1 रकबा 0.2150 हैक्ट, धौड्या पुत्र चिरंजीलाल मीणा को 763/2 रकबा 0.2150 हिस्सा वाके ग्राम अगराया तहसील कठूमर में आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 08.07.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)